

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 81] No. 81]

57

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHIATRA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

विषय : अवसंख्यना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची तथा उसको अद्यतन बनाने हेतु संस्थागत तंत्र ।

फा. स. 13/6/2009-आईएनएफ. अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची की पहचान के बारे में अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीआई) की 1 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करते हुए, एक संस्थागत तंत्र गठित किया जाता है। यह निर्मालिखित से मिलकर बनेगा :-

1 46 111	indicate de monte de la constante de la consta	•
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	संचिव, आर्थिक कार्य विभाग	-अध्यक्ष
ii	संदर्य-सचिव, योजना आयोग	-सदस्य
iii	सचिव, राजस्व विभाग	-सदस्य
iv	प्रधान आर्थिक सलाहँकार, आर्थिक कार्य विभाग	-सदस्य
v	प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक	-सदस्य
vi	प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)	-सदस्य
vii	प्रतिनिधि, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)	-सदस्य
viii	प्रतिनिधि, पेशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	-सदस्य
ix	सचिव, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	-सदस्य

2. संस्थागत तंत्र के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः

- अनुबंध-। के रूप में संलग्न अवसंरचना उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची को अद्यतन बनाना; और
- ii मास्टर सूची के इतर, उपयुक्त समय के बाद उन अवसंरचना उप-क्षेत्रों पर पुनः ध्यान देना जो किसी एजेन्सी से इस समय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
- 3. अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के निर्णय के अनुसार, उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची अवसंरचना को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी एजेन्सियों के मार्गदर्शन के लिए होगी। प्रत्येक वित्तपोषण

एजेन्सी मास्टर सूची से उन उप-क्षेत्रों को जिन्हें वह सहायता देने की इच्छुक है, के कारण बताते हुए तथा इस सूची में से विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों को शामिल करने अथवा शामिल न करने का पर्याप्त औचित्य देते हुए अपनी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

- 4. यह संस्थागत तंत्र निर्णय हेतु वित्त मंत्री को सिफारिशें करेगा।
- 5. आर्थिक कार्य विभाग इस संस्थागत तंत्र को सेवाएं प्रदान करेगा।

राजेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

अनुबंध-।

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची

क्र.संख्या	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
		
1.	परिवहन	• सड़क और पुल
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• पत्तन
		• अन्तर्देशीय जलमार्ग
٠.		• एयर पोर्ट
•		• रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु,
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		पुल¹
		• शहरी लोक परिवहन (शहरी
$\cdot t$		सड़क परिवहन के मामले में
*	No. 1	रोलिंग स्टाक के अतिरिक्त)
2.	<u> কর্</u> জা	• विद्युत्, उत्पादन
		• विद्युत परिषण
n de la companya de l		• विद्युत संवितरण
•		• तेल पाईप लाईन
		• तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक
87 - 12		गैस (एलएनजी) भंडारण
Service Control of the Control of th	•	स्विधा²
		• गैस _् पाईपलाईन³
3.	जल और स्वच्छता	 ठोस अप्रशिष्ट प्रबंधन
		 जल आपूर्ति पाईपलाईन
		 जल शोधन संयंत्र
		• मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन
		तथा निपटान प्रणाली
		• सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध
		आदि)
	•	• स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
4.	संचार	 दूरसंचार (फिक्सड नेटवर्क)⁴
		• दुरसंचार टावर्स
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक	• शिक्षण संस्थान (कैपिटल
.	अवसरंचना	स्टाक)

====					~~~	
					•	अस्पताल (कैपिटल स्टाक) ⁵ 1 मिलियन से अधिक
						आबादी वाले शहरों से बाहर
	•	•				अवस्थित तीन-सितारा
udinak wit			-	1 .		अथवा उच्चतर श्रेणी के
		4.	•			होटल
					ě	औद्योगिक पार्कों, एसईजेड,
-			•			पयर्टन सुविधाएं तथा कृषि
			•		-	बाजार हेतु सांझी अवसरंचना
			s 1	-	•	उवर्रक (पूंजी निवेश)
			er en	٠. ٠	9	कृषि तथा बागवानी उत्पाद र
1						हेतु शीत अंडारण सहित
		0.00				कटाई उपरान्त भण्डारण
Ì						अवसंरचना ।
					•	टर्मिनल बाजार
1				Y	•	मृद्रा-जांच प्रयोगशालाएं
					•	शीत शृंखला
					•	शीत शृंखला ⁶

[े] लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs

(INFRASTRUCTURE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

Sub: Harmonized list of Infrastructure sub-sectors and Institutional Mechanism for its updation

F. No. 13/6/2009-INF.—In pursuance of the decision of the Cabinet Committee on Infrastructure (CCI) taken in its meeting held on 1st March, 2012 on the identification of the harmonized list of Infrastructure sub-sectors, an Institutional Mechanism is hereby constituted consisting of the following:-

i.	Secretary, Department of Economic Affairs	why	
ii.	Member-Secretary, Planning Commission	.pr.	- Chairman
iii.	Secretary, Department of Revenue		- Member
iv.	Chief Economic Advisor Department of S		- Member
٧.	Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs Representative of Reserve Bank of India		- Member
vi.	Representative of Societies - 1 -		- Member
	Representative of Securities and Exchange Board of India (SEBI)		- Member

² कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

³ शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।

⁴ फाइबर आप्टिक /वायर/तार नेटवर्क जो कि ब्राइबैण्ड/इन्टरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

⁵ चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानं तथा नैदानिक केन्द्र शामिल है।

⁶कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, जल उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर प्री-कूलिंग हेतु शीत कक्ष सुविधा शामिल है।

vii.	Representative of Insurance Regulatory and	- Member	
	Development Authority (IRDA)		
viii.	Representative of Pension Fund Regulatory and	- Member	
	Development Authority (PFRDA)		
ix.	Secretary of the concerned Administrative Ministry/Department	- Member	

- 2. The Terms of Reference of the Institutional Mechanism would be as under:
 - i. To update the Master List of Infrastructure sub-sectors as enclosed at Annexure-I; and
 - ii. To revisit the infrastructure sub-sectors outside the Master List which are presently being supported by any agency after an appropriate period of time.
- 3. As per the decision of the CCI, the harmonised Master List of sub-sectors is meant to guide all the agencies responsible for supporting infrastructure in various ways. Each financing agency shall be free to spell out its reasons and draw its own list of sub-sectors out of the Master List, that it intends to support, with adequate justification for inclusion/non-inclusion of specific sub-sectors from the Master List.
- 4. The Institutional Mechanism will make recommendations to the Finance Minister for decision.
- 5. The Institutional Mechanism will be serviced by the Department of Economic Affairs.

RAJESH KHULLAR, Jt. Secy.

ANNEXURE- I

Harmonised Master List of infrastructure sub-sectors

SNo	Category	Infrastructure sub-sectors
	Transport	Roads and bridges
1.	·	• Ports
		Inland Waterways
		Airports
		 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges¹
		 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	Electricity Generation
		Electricity Transmission
		Electricity Distribution
		Oil pipelines
		Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility ²
	_	Gas pipelines ³
3.	Water	Solid Waste Management
	Sanitation	Water supply pipelines
	i.	Water treatment plants
		Sewage collection, treatment and disposal system
		 Irrigation (dams, channels, embankments etc)
		Storm Water Drainage System

-(1)

4.	Communication	Telecommunication (Fixed network)4
ì		Telecommunication towers
5.	Social and	Education Institutions (capital stock)
	Commercial	Hospitals (capital stock) ⁵
	Infrastructure	• Three-star or higher category classified hotels located
	agger of the	outside cities with population of more than 1 million
	医皮肤 数 1. 不	* Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism
		facilities and agriculture markets.
		Fertiliser (Capital investment)
	Land of And to	Post harvest storage infrastructure for agriculture and
	og at the	horticultural produce including cold storage
		Terminal markets
		Soil-testing laboratories
-		Cold chain ⁶

³ Includes city gas distribution network

5 Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostic Centres

Allerance their

Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings

² Includes strategic storage of crude oil

includes optic fibre/ wire/cable networks which provide broadband /internet

⁶ Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat